संख्या– 5406/1–10–2008–12(73)/2008 टी0सी0–1

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी, बलिया,
शाहजहाँपुर एवं गोरखपुर ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 15 नवम्बर, 2008

विषयः वर्ष 2008–09 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त/नष्ट हुये भवन हेतु गृह अनुदान एवं लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरण हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 11 नवम्बर, 2008 में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2008–09 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त/नष्ट हुये भवन हेतु गृह अनुदान तथा 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त/नष्ट फसल हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करने हेतु **रू0–44,48,81,000/– (रूपये चौवालिस करोड़ अडतालिस लाख इक्यासी हजार मात्र)** की धनराशि निम्नांकित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

| क्रमांक | जनपद का नाम | मद | वांछित धनराशि | आवंटित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आजमगढ़ | कृषि निवेश अनुदान | 359.00 | 359.00 |
| | | गृह अनुदान | 278.00 | 0 |
| 2. | पीलीभीत | – | 150.00 | 150.00 |
| 3. | लखीमपुर खीरी | कृषि निवेश अनुदान | 658.00 | 658.00 |
| | | गृह अनुदान | 826.00 | 826.00 |
| 4. | लखनऊ | कृषि निवेश अनुदान | 74.00 | 74.00 |
| | | गृह अनुदान | 484.00 | 484.00 |
| 5. | बाराबंकी | अहेतुक सहायता | 33.00 | 33.00 |
| | | गृह अनुदान | 117.48 | 117.48 |
| | | कृषि निवेश अनुदान | 275.34 | 275.34 |

A G ALLOTMENT 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | बलिया | गृह अनुदान | 145.34 | 145.34 |
| 7. | शाहजहाँपुर | कृषि निवेश अनुदान | 710.65 | 710.65 |
| 8. | गोरखपुर | गृह अनुदान | 180.00 | 180.00 |
| | | कृषि निवेश अनुदान | 436.00 | 436.00 |
| | | योग : | 4726.81 | 4448.81 |
| (रूपये चौवालिस करोड़ अडतालिस लाख इक्यासी हजार मात्र) | | | | |

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. जिलाधिकारी, आजमगढ द्वारा गृह अनुदान के रूप में वांछित धनराशि रू0 2,78,00,000/– (रूपये दो करोड़ अठहत्तर लाख मात्र) का व्यय पूर्व में आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि के सापेक्ष जनपद स्तर पर हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4. जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन जनपदों में दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों का तथा फसल हेतु प्लाट टू प्लाट सर्वेक्षण अभी तक नहीं कराया गया है, उन जनपदों में प्लाट टू प्लाट सर्वेक्षण तत्काल पूर्ण करा लिया जाय तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सर्वे रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर शासन को प्राप्त हो गयी है।

5. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–जी.आई.–134/1–11–2007–46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित राहत की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

6. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर–5 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 के साथ प्रेषित भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या–4464/1–10–2008–14(45)/2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000/–तक की धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा

A G ALLOTMENT

रू0 2000/– से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

7. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षो के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

8. राहत धनराशि का वितरण गांवों में व्यापक प्रचार–प्रसार के बाद पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन–प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाए। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़ कर सुनाया भी जाए।

9. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आंवटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार विभागों को धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

10. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय–विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें संभावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुए वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाए।

11. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

A G ALLOTMENT

12. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

13. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या– 5406 (1)/1–10–2008–12(73)/2008–टी0सी0–1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, आजमगढ, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी आजमगढ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी, बलिया, शाहजहॉपुर एवं गोरखपुर।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11/राहत बेवसाइट की उपयोग हेतु।
8. वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।